न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 75/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. कायमदीन पुत्र नभूखां 2. मेहरदीन पुत्र आरब खां 3. खेर मोहम्मद पुत्र आरब खां 4. अब्दुल अजीज पुत्र निजामदीन 5.मेहरदीन पुत्र नभू खां सभी जातियान मुसलमान निवासीगण रहीमपुरा पलीना, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर		1– रिडमलराम पुत्र धुडाराम 2– मोहिनी देवी पत्नी रामकिशन जातियान विश्नोई निवासीगण रहीमपुरा, पलीना, तहसील लोहावट जिला जोधपुर 3– तहसीलदार लोहावट जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 13–5–2019 जो उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 29/2019 अनवान रिडमलराम वगैरा बनाम तहसीलदार वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री रोशनलाल अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 9–7–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का पेश किया कि ग्राम रहीमपुरा तहसील लोहावट स्थित खसरा नंबर 815/10 रकबा 4.10 बीघा, खसरा नंबर 815/11 रकबा 9 बीघा भूमि प्रार्थी संख्या 1 की तथा खसरा नंबर 815/7 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 815/8 रकबा 1 बीघा भूमि प्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है, उक्त भूमियों की पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 12–3–19 अनुसार उक्त भूमि की सीमा पर पत्थरगढी के आदेश पारित करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–5–2019 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उक्त अपीलाधीन भूमि की पत्थरगढी फर्द पैमाईश दिनांक 12–3–2019 के मध्यनजर रखते हुए पुनः टीम गठित करके संबंधित सभी पडौसी पक्षकारो को जरिये नोटिस सूचित कर पैमाईश कर विधिवत पत्थरगढी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार लोहावट को निर्देशित किया तथा आवश्यकता पडने पर पुलिस इमदाद के जरिये पत्थरगढी करने के आदेश पारित किये गये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–5–2019 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण ने यह अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वर्तमान अपील के अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के सलंग्न प्रस्तुत मौका सीमांकन फर्द दिनांक 12–3–19 पर आपत्ति जरिये अधिवक्ता दिनांक 12–4–19 को प्रस्तुत की गई थी, जिसका उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 12–4–19 मे किया हुआ है तथा उसके बाद पत्रावली आयंदा दिनांक 18–4–19, 2–5–19 एवं 9–5–19 को सीलनुमा आदेशिका से तब्दील होती गई तथा दिनांक 13–5–19 को अपीलांट की आपत्तियों का निस्तारण किये बिना ही सीधे अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जिससे अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे सुनवाई का पर्याप्त अवसर नही दिया गया, जवाब का अवसर नही मिला इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा दुबारा तरमीम करने के आदेश पारित किये है जबकि दुबारा पैमाईश करने पर पैमाईश रिपोर्ट पर आपत्तियों व साक्ष्य का अवसर अपीलांटगण को नही मिल सकेगा इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे किसी भी सीमाज्ञान के आदेश केवल भू माप के नक्शे के अनुसार दिये जा सकते है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने भू माप के नक्शें के अनुसार पैमाईश करने का कोई आदेश पारित नही किया है तथा वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दोनो पक्षो की साक्ष्य लिये बिना तथा मौके की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही पत्थरगढी का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि पक्षकारो के मध्य इसी भूमि के संबंध मे सिविल न्यायालय मे रेगुलर सूट पेण्डिंग है जिसमे दोनो पक्षकारान को विवादित भूमि के यथास्थिति के आदेश पारित किये हुए है इसलिए मौके पर किसी प्रकार की कार्यवाही नही की जा सकती थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान को प्रोपर सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपीलांट अधिवक्ता की बहस के जवाब मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे अप्रार्थीगण (वर्तमान अपीलांटगण) द्वारा दिनांक 12–4–19 को पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 12–3–19 पर प्रस्तुत आपत्ति पर सुनवाई करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–5–2019 पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांटगण की यह अपील खारीज करने का निवेदन किया तथा वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय की पालना की जाकर मौके पर पत्थरगढी भी हो चुकी है ।

वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस मे न्यायालय को अवगत कराया कि सिविल कोर्ट मे दावा हमारा था जो दीवार निर्माण को लेकर था जिसमे पक्षकार भी अलग–अलग है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन भूमि की पत्थरगढी करने बाबत पारित अपीलाधीन निर्णय से उसका कोई सरोकार नही है इसलिए अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधि एवं न्यायसंगत बताते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्थरगढी बाबत पारित अपीलाधीन निर्णय मे अपीलांटगण की पैमाईश के संबंध मे आपत्ति को स्वीकार करते हुए पुनः टीम गठित करके संबंधित सभी पडौसी पक्षकारो को जरिये नोटिस सूचित कर पैमाईश कर विधिवत पत्थरगढी की कार्यवाही के आदेश पारित किये है, जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होना पाया जाता है ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, आदेशिकाओं एवं अपीलाधीन निर्णय आदि का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अपने खातेदारी की भूमि ग्राम रहीमपुरा तहसील लोहावट स्थित खसरा नंबर 815/10 रकबा 4.10 बीघा, खसरा नंबर 815/11 रकबा 9 बीघा, खसरा नंबर 815/7 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 815/8 रकबा 1 बीघा भूमि जिसकी विधिवत सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 12–3–19 जो तहसीलदार लोहावट के आदेश दिनांक 13–2–2019 की पालना मे तैयार की गई थी, उसके माफिक पत्थरगढी करवाने हेतु धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया ।

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपीलांटगण की ओर से पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 12–3–19 पर लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गई, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है तथा इसका उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 12–4–19 मे भी किया हुआ है ।

अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की सुनवाई करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–5–2019 मे "अप्रार्थीगण की आपत्ति बाबत पुनः पैमाईश करवाने की स्वीकार योग्य पाई जाती है" का उल्लेख करते हुए उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए पुनः टीम गठित करके संबंधित सभी पडौसी पक्षकारो को जरिये नोटिस सूचित कर पैमाईश कर विधिवत पत्थरगढी की कार्यवाही के आदेश पारित किये है, जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होना पाया जाता है ।

इसके अलावा बहस के दौरान रेस्पो0 अधिवक्ता ने यह भी अवगत कराया कि अपीलाधीन आदेश की पालना मे मौके पर पत्थरगढी भी हो चुकी है । ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही होगा ।

परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–5–2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 9–7–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर